SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.) Case No. 69 2017 Complaint or report madeon Name and address of the Complainant. 219010 198101 गाधिक मिलिस्ट्रेट प्रथम श्रामी व्यत - गाहि Name, parentage, caste and address of accused उन्मीत्रका दर्शनलाल दिसोदिया उदा - 25 मि सिंध्वारी याना - मालवपुर The offence, complainant of, and date of, its alleged commission आरोप है कि दिनांक २५ ।। 2016 आप मुकाम रिहाभशी मेगान पर बिना वैध अनुज्ञाप्ति के अपने ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34—1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

20070

२० किए गुस्ता गयिक्डस्कीएस्टेट प्रथम श्रणी गरेरर जिल्ला बिगड फाफर

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub-section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक २७/३/२०/४-को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि0/1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सिक्षेप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक रवीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34--1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की सजा एवं रूपये 500 शब्दों में प्रीन्य कि रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ी दिन्हिं का साधारण कारावास की सजा मुगतायी जावे।